OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3588
Dated 30/5/12

18

Page No. 1
Date 27 04 12

नाम = अकबर अली
पता = A-361 बुनकर कलोनी
अशोक विहार फेस-4
दिल्ली - 110052
मोबाईल नं. = 09998999-880
EMAIL ID = akbar_ali_1982@yahoo.com

Director (AP)-I
Dy. No. OS/MPR-53
Date 21/5/12

विषय = सुझाव नार्थ II अशोक विहार हेतू

सेवा में
श्रीमान से के मल्ला निदेशक(योजना)
दि. वि. प्रा. F & H
-ZONE चौथा तल, विकास मीनार
नई दिल्ली - 110002

सर,
हमारे चार सुझाव निम्नलिखित है
(i) भूकंपरोधी अलट्रेशन / निर्माण
(ii) कामान स्पेस जीने व लिफ्ट हेतू
(iii) पारदर्शिता व बढ़ती आबादी की समस्या
(iv) अनोथराईज्ड कलोनीयो में मुख्य सुधार

(i) भूकंप रोधी अलट्रेशन / निर्माण —:

"जैसा "की "देखा गया है "सभी समान वर्ग साईज के प्लाट एक साथ एक ब्लाक में ही होते है जैसे 32 मीटर या 80 मीटर इत्यादी इसलिए हमें मकान बनाते समय वर्ग के प्लाटो को आपस में पूरी लाईन

के लिए भूकंप रोधी पद्दीया आगे व पीछे तथा ~~लाईन के लिए भूकंप रोधी~~ सारे प्लाटो को एक साथ जोडे रखो व जो बन गए है उसमें अल्टेशन हो और जो बन रहे है वह भूकंप पद्दी का स्पेस अगले दाए व बाए के लिए छोडे जिससे की बिल्डिंग के हर फ्लोर पर पूरी लाईन (समान वर्ग प्लाटो की) एक दूसरे को बांधे रखो।

(ii) कॉमन स्पेस —:
जैसा कि देखा गया है की फ्लोरो का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसमें सीढ़ियाँ और लिफटो की जगह कम से कम मे बनाते है कारण वश यह आपातकाल मे चढ़ने व उतरने मे परेशानी का सबब बन सकता है जब लोगो मे ही रहना है तो या समान वर्ग के प्लाटो का एक ही जीना हो व एक ही लिफ्ट हो ज्यादा जगह मिलने के कारण जीनो मे चढ़ना व उतरना बहुत ही आसान रहेगा व आपातकाल मे मदद मिलेगी तथा बिल्डिंग आपस मे जुडे होने के कारण ज्यादा मजबूत रहेगी।

(iii) बढ़ती आबादी —:
जैसा की देखा गया है कि परिवार बढ़ने के साथ लोग छत पर कुछ न कुछ बना ही लेते है चाहे वह फोर्थ फ्लोर ही क्यों न हो अगर लोग उपरोक्त सुझाव को पूर्ण तरीके से कर लेते हैं तो उन्हे फोर्थ फ्लोर बनाने की अनुमती

Page No. → 3
Date 27/4/12

D.D.A / MCD से मिलनी चाहिए इससे कुछ हद तक मकानों की मांग कम होगी।

(iv) पारदर्शिता —:
अकसर यह देखा गया है कुछ लोग सेकंड फ्लोर की छत या उसपर बना एक कमरा खरीद लेते है फिर उसे बनाने के लिए G.F. F.F. S.F. वाले थर्ड फ्लोर वाले से मन मर्जी पैसे मांगते है तब चोरी छिपे बनाने देते है फिर और अन्य खर्च जैसे पुलिस/ MCD/ इत्यादी का खर्च और फिर आदमी बनाएगा क्या और यह पता नहीं और कितना खर्चा होगा इस दौरान जो मानसीक पीड़ा जैसे F.F. वाला मान गया तो सेकंड फ्लोर वाला नहीं मानेगा या G.Floor से क्या बात बनेगी फिर अन्य खर्च बनाने की बात तो दूर है या तो दूसरी मंजील के बाद तीसरी मंजील या दूसरी मंजील की छत या तीसरी मंजील के बिकने पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध हो या मानवीय आधार पर इसे बनाने दिया जाए ताकि हर प्रकार के शोषण पर रोक लगे व पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

(v) अनोथराईज्ड कालोनीयों में मुख्य सुधार —:
यह कालोनी पास करने से पहले वहां यह देखना चाहिए कि गलियों में फायर ब्रिगेड की गाडी या डिजास्टर से संबंधित वाहन के आने जाने व प्राकृतिक आपदा में सही

Page No. 4
Date 27.4.12

तरीके से निपटान है व सभी सुविधाएं हैं या नहीं यह देखा गया है कि कुछ गलियां ऐसी होती हैं जहां दिन में रोशनी भी नहीं आती और उनकी चौड़ाई मात्र 2-3 फीट तक होती है आज लोगों को डर है कि पता नहीं कालोनी बचेगी या नहीं अगर यह कार्य चौड़ी गलियां या प्राकृतिक आपदा में तुरंत सहायता की जाए व पार्क की भी सुविधा दी जाए तो लोगों को यह आशवासन दे दिया जाए कि आपकी कालोनी तभी पक्की / पास होगी तो जब उपरोक्त शर्तें आप मानते हैं तो लोग स्वंय ही सरकार की सहायता करेंगे तथा इसके लिए सरकारी सहायता भी दी जाएगी ऐसी बातें रखी जाएं। इससे हमारी दिल्ली भूकंपरोधी जनता का भार सहने वाली एक पारदर्शिता का उच्च उदाहरण पेश कर समूचे भारत वर्ष के लिए निर्माण में मिसाल बनेगी।

प्रतिलिपि
1 समस्त R.W.A NORTH II
2 निदेशक योजना F.S.H (ZONE)
3 शहरी विकास मन्त्रालय

27/4/2012

AKBAR ALI
9999899880
akbar_ali_1982@yahoo.com
akbar_ali_1982@yahoo.com